न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र.क्रं. /2017 ~~अ.मा.~~ निगरानी

IV/निगरानी/श्योपुर/भू०रा/2017/3547

निसार अहमद पुत्र अब्दुल बहीद नाई मचापुर तेहसील श्योपुर (म.प्र.)

———प्रार्थी

विरूद्ध

1. स्वर्णासिंह पुत्र करतारसिंह जाट सिक्ख निवासी ग्राम मयापुर तेह. श्योपुर
2. सतनामसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम जानपुर तेह. श्योपुर (म.प्र.)
3. भजनसिंह पुत्र करतारसिंह जाटव सिक्ख निवासी जाट सिक्ख निवासी जानपुरा तेहसील श्योपुर (म.प्र.)

———प्रत्यार्थीगण

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्र.क्रं. 14/2008–09 अ.मा. में प्रदत्त आदेश के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.संहिता

श्रीमान् जी,

निगरानी निम्नांकित है :–

प्रकरण के तत्व :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस भांति है कि मौजा मयाखुर के सर्वे क्रं. 212 रकवा 6 बीघा 12 विस्वा प्रार्थी के भूमि स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि है । उक्त भूमि पर प्रार्थी के हित में सिविल न्यायालय से प्र.क्रं. 219/90 इ.दी. में दिनांक 4.12.90 को प्रार्थी को भूमि स्वामी घोषित किया गया था जो अंतिम हो चुका है । उक्त निर्णय के निष्पादन में प्रार्थी ने तेहसील में आवेदन देकर खसरा में अपने नामांकन की प्रार्थना की थी जिसे तेहसील विलम्बित करती रही । तथा खसरा में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं हो सका ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निग/श्योपुर/भू.रा./2017/3547 जिला श्योपुर

निसार अहमद विरूद्ध स्वर्णासिंह एव अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/2008-**09**/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला - श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 15-10-19 को कलेक्टर, के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	